न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2022

बउनवान

1. गीताबाई पत्नि धनराज निवासी बोरदा आयु 50 साल
2. ज्ञानीबाई पत्नि रामकंवर निवासी बून्दी बिजोरा आयु 50 साल
3. धनकंवर पत्नि किशन निवासी कोटा आयु 25 साल
4. पांचीबाई पत्नि शंकरलाल आयु 45 साल निवासी बावड़ीखेड़ा
5. बबली पत्नि विनोद आयु 30 साल निवासी इटावा
6. प्रेमबाई पत्नि राधेश्याम आयु 60 साल निवासी काजीखेड़ा
7. जगन्नाथ पुत्र श्री बिरधीलाल आयु 61 साल निवासी काजीखेड़ा
8. पप्पू पुत्र बिरधीलाल आयु 40 साल निवासी काजीखेड़ा
9. हीरालाल पुत्र बिरधीलाल आयु 50 साल निवासी काजीखेड़ा
10. राजेन्द्र पुत्र राधेश्याम आयु 35 साल निवासी काजीखेड़ा तहसील व जिला बारां (राज0)

(अपीलांट्स)

बनाम

1. गोपाल पुत्र बिरधीलाल आयु 62 साल निवासी काजीखेड़ा
2. बद्रीलाल पुत्र बिरधीलाल आयु 70 साल निवासी काजीखेड़ा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी
अपील बनाराजगी आदेश इन्तकाल नं. 347 दिनांक 30.01.2020 तहसीलदार बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट (अपीलांट्स)
2. श्री ओम प्रकाश मेहता II एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट कम 1)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

निर्णय दिनांक 18.01.2023

हस्तगत अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त पक्षकारान के मध्य उक्त आराजीयात के संदर्भ में एक नियमित वाद संख्या 62/2021 बउनवान गोपाल बनाम बद्रीलाल वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार है जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी[illegible] किया जा चुका है। अतः नियमित वाद के निस्तारण तक उक्त इंतकाल कार्य[illegible]गित किया जाना विधिसम्मत होने से स्थगित फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] ने जवाब [illegible] किया तथा सीधे बहस करना चाहा। हमने प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] पर बहस उभयपक्ष [illegible] अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट कम 1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में नियमित वाद न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है जिसके संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में ताफैसला वाद प्रार्थी के हिस्से तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश पारित किये गये हैं। नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामान्तकरण की कार्यवाही को स्टे किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक इंतकाल अपील की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने के आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 1 ने विधिक दृष्टांत आरबीजे 2006 पृष्ठ संख्या 366 का अवलोकन करवाया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया मृतक बिरधीलाल की वसीयत के अनुसार उक्त इंतकाल खोला जाना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम भी इन्तकाल में दर्ज कर दिया। जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 गोपाल मृतक छोटूलाल जी के गोद चला गया व उनके खाते की समस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 गोपाल को प्राप्त हो गयी लेकिन इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर भारी भूल की है। प्रस्तुत विधिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 347 दिनांक 30.01.2020 व आदेश दिनांक 06.02.2020 निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड से रेस्पोडेन्ट कम 1 गोपाल का नाम हटाये जाने का आदेश फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने बिरधीलाल की वसीयत के अनुसार इन्तकाल खोला जाना बताते हुए गोपाल को छोटूलाल के गोद जाना बताया है तथा उसका नाम विवादित इन्तकाल नंबर 347 से हटाने का निवेदन किया है। जबकि गोपाल को छोटूलाल के गोद जाने के सम्बन्ध में कोई सबूत पेश नहीं किया है। प्रश्नगत नामान्तकरण मृतक छीता पत्नि प्रभूलाल की रजिस्टर्ड वसीयत बिरधीलाल पुत्र मोतीलाल के हक में करने तथा बिरधीलाल का भी स्वर्गवास होने पर उसके विधिक वारिसान के हक में खोला गया है।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम 1 गोपाल द्वारा अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है तथा विचाराधीन वाद में ही उभयपक्षकारान के हक निर्धारित होंगे। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:46 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)